कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–फा.10 (8) सविरा/बी–6/व्यवस्थापक/2019 दिनांक 29.7.2022

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक फा. 97 (26) सविरा/बैंक–3/2008 दिनांक 23.08.2008 एवं इस क्रम में जारी समस्त विभागीय आदेशों को अतिलंघित करते हुये राजस्थान सहकारी संस्था नियम 2003 के नियम 39, सहपठित राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 123 एवं 127 के अन्तर्गत मैं मुक्तानन्द अग्रवाल, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ राजस्थान, जयपुर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.07.2022 के अनुसरण में राज्य की प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां/वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रकिया एवं सेवा नियम – 2022 जो संलग्न है तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश देता हूँ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः–फा.10 (8) सविरा/बी–6/व्यवस्थापक/2019 दिनांक 29.7.2022

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
5. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को गजट में प्रकाशनार्थ।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर को पठाकर लेख है कि उक्त सेवा शर्तें शीर्ष बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराने का श्रम करें।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर।
8. सहायक महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जयपुर।
9. मुख्य अंकेक्षक, सहकारी समितियॉ, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, सहकारी समितियॉ, राजस्थान जयपुर।
11. संयुल्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,........................ समस्त।
12. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. .... (समस्त) को पठाकर लेख है कि वे जिले की पैक्स/लैम्पस को उक्त सेवा शर्तो की प्रति उपलब्ध करवाये।
13. क्षेत्रीय अंकेक्षक, सहकारी समितियॉ, ... (समस्त)
14. उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, ... (समस्त)
15. विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियॉ, ... (समस्त)
16. प्रचार अधिकारी, सहकारी समितियॉ, प्रधान कार्यालय जयपुर को पठाकर लेख है कि उक्त सेवा शर्ते विभाग की वेबसाईट पर भी तत्काल प्रकाशित करावे।
17. अध्यक्ष/व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समितियॉ,........ (समस्त) को पठाकर लेख है कि वे संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक/वेबसाईट से सेवा शर्तो की प्रति प्राप्त कर सकते है।
18. गार्ड पत्रावली।

128

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)

प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियॉ/वृहत् कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवा नियम–2022

भाग–1
साधारण

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं प्रभावशीलता

1.1. इन नियमों का नाम " **प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियॉ/वृहत् कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवा नियम–2022** " होगा।

1.2. ये सेवा नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा बिना रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के आदेश के इनमे कोई संशोधन/परिवर्तन नही होगा।

1.3. ये सेवा नियम रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा पूर्व में समय समय पर लागू किये गये प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां/वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कर्मचारियों के सेवानियमों/सेवा शर्तो के अन्तर्गत चयनित एवं कार्यरत तथा भविष्य में इन नियमों के अन्तर्गत चयनित/भर्ती होने वाले व्यवस्थापकों पर लागू होंगे। समिति में कार्यरत अन्य कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होंगे।

1.4. प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों/वृहत कृषि बहु उद्देशीय सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के अधीन की जा सकेगी।

1.5. संबंधित प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियॉ/वृहत कृषि बहु उद्देशीय सहकारी समितियॉ ही कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकारी होगी एवं कर्मचारी संबंधित समिति के ही कार्मिक होंगे। कर्मचारी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारी नही होंगे।

1.6. यदि किसी सोसायटी द्वारा इन नियमों एवं निर्धारित मापदण्ड के विपरीत अथवा उनके उल्लंघन में कोई भर्ती कर ली जाती है तो इस प्रकार की भर्ती अनियमित समझी जावेगी तथा ऐसे कर्मचारियों की सेवाऐं इन नियमों से शासित नही होगी।

1.7. निर्धारित मापदण्डों के प्रतिकूल की गई किसी भी भर्ती को जान बूझकर समिति की सम्पदा के दुरूपयोग की श्रेणी में समझा जायेगा, जिसके लिये संबंधित व्यवस्थापक/अध्यक्ष/प्रशासक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

1.8. इन नियमों के लागू होते ही प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां/वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां के कर्मचारियों की चयन, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते 2008 स्वतः ही निरस्त हो जायेगें, परन्तु सेवा शर्तें 2008 के तहत व्यवस्थापक के अतिरिक्त कार्यरत अन्य कार्मिकों के पद डाईंग होंगे अर्थात् सेवानिवृत्ति के पश्चात् ये समाप्त माने जायेंगे।

2. परिभाषाऐं :–

जब तक कि प्रसंग द्वारा अथवा अपेक्षित न हो –

2.1. 'अधिनियम' से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 से है।

2.2. 'नियम' से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 से है।

2.3. 'विभाग' से तात्पर्य सहकारिता विभाग, राजस्थान से है।

2.4. 'समिति' से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति (पैक्स) से है, जिसमें वृहत कृषि बहुद्देशीय सहकारी समितियां सम्मिलित होगी।

2.5. 'वित्तदाता बैंक' से तात्पर्य उस सेन्ट्रल/केन्द्रीय सहकारी बैंक से है, जिसके कार्यक्षेत्र में समिति स्थित है तथा जिसकी वह सदस्य है तथा जहां से समिति वित्तीय ऋण की सुविधा प्राप्त करती है।

2.6. 'नियुक्ति प्राधिकारी' से तात्पर्य समिति की प्रबन्धकारिणी समिति से है।

2.7. 'प्रबन्ध निदेशक' से अभिप्राय वित्तदाता बैंक के प्रबन्ध निदेशक से है।

2.8. 'अधिशाषी अधिकारी' से तात्पर्य वित्तदाता बैंक के अधिशाषी अधिकारी से है।

2.9. 'अध्यक्ष' से तात्पर्य समिति के अध्यक्ष से है।

2.10. 'रजिस्ट्रार' से तात्पर्य रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर से है।

2.11. 'अतिरिक्त रजिस्ट्रार' से तात्पर्य उस खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां से है, जिसके कार्यक्षेत्र क्षेत्र में समिति स्थित है।

2.12. 'उप रजिस्ट्रार' से तात्पर्य उस संबंधित इकाई के उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां से है, जिसके कार्यक्षेत्र क्षेत्र में समिति स्थित है।

2.13. 'समिति के कर्मचारियों' से तात्पर्य रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर जारी सेवा नियमों के अन्तर्गत चयनित/नियुक्त एवं कार्यरत पूर्णकालिक कर्मचारियों एवं भविष्य मे भर्ती/चयनित व पूर्णकालिक रूप से नियुक्त होने वाले समिति व्यवस्थापक से है, जिनका वेतन सबंधित समिति के कोष से दिया जाता है, इसमें प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारी सम्मिलित नही होगें।

2.14. 'प्रबन्धकारिणी समिति' से तात्पर्य अधिनियम, नियम एवं समिति के उपनियमों के अन्तर्गत गठित संचालक मण्डल/प्रशासक से है।

2.15. 'संस्थापन समिति ' से तात्पर्य इन नियमों के बिन्दु संख्या 41.4.2 पर वर्णित समिति से होगा।

2.16. उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनका इन सेवा नियमों में प्रयोग किया गया है, किन्तु जिन्हे इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ समझा जाएगा जिन अर्थो में उन शब्दों का प्रयोग राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001, राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम 2003 एवं तदन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों अथवा विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों में किया गया है।

2.17. ''बोर्ड'' से तात्पर्य राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड से है।

3. निर्वचन :–

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 तथा नियम से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 अभिप्रेत है तथा उपनियम से तात्पर्य प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों/वृहत कृषि बहु उद्देशीय सहकारी समितियों के उपनियम से है। इन नियमों के किसी बिन्दु/प्रावधान पर विवाद एवं निर्वचन पर विवाद की स्थिति में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान का निर्णय/निर्वचन अन्तिम होगा।

भाग–2
संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या :

4.1. इन नियमों के अन्तर्गत समिति में व्यवसाय के आधार पर निम्नांकित पदों में से निर्धारित होंगे :–

4.1.1 व्यवस्थापक **(कनिष्ठ श्रृखंला)**

4.1.2 सहायक

4.2. समिति में पूर्व में जारी नियमों के तहत कार्यरत सहायक व्यवस्थापक (समिति), सहायक व्यवस्थापक (मिनी बैंक), सैल्समेन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद डाईंग प्रकृति के होंगे।

भाग–3
सीधी भर्ती

5. रिक्तियों का अवधारण :

5.1. समिति में कर्मचारियों के पद एवं संख्या का निर्धारण रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, राजस्थान द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला स्तर पर संबंधित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा। कमेटी में विशेष लेखापरीक्षक सदस्य तथा अधिशाषी अधिकारी बैंक सदस्य सचिव होगा। कमेटी द्वारा अनुशंषित कार्यवाही का अनुमोदन संभागीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा।

5.2. समिति में कर्मचारियों के पद व संख्या के निर्धारण उपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रिक्तियों का अवधारण रोस्टर रजिस्टर के अनुसार किया जावेगा।

5.3. समिति में व्यवस्थापक के अतिरिक्त पूर्व से कार्यरत जितने पूर्णकालिक कार्मिक हैं, जो डाईंग केडर के होंगे। स्वीकृत सहायक पदों के विरूद्ध उन्हें कार्यरत मानकर यदि शेष बचते हैं तो उन पदों पर सहायक संविदा पर नियुक्त किये जा सकेंगे।

6. भर्ती के सिद्वान्त एवं तरीके :

6.1. भर्ती की कार्यवाही केवल उन्ही पैक्स/लैम्प्स में की जावेगी जो आर्थिक रूप से सक्षम हो (Economically & Financially Viable) और इन कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि पर होने वाले समस्त व्यय भार को वहन कर सकें।

6.2. पैक्स/लैम्प्स में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है, वे पूर्ण रूप से पैक्स/लैम्प्स के ही कार्मिक होगें। पैक्स/लैम्प्स की प्रबन्धकारिणी ही उनकी नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) होगी तथा समिति के कर्मचारी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारी नही होगें। सीधी भर्ती केवल व्यवस्थापक के पदों पर ही की जावेगी। सहायक की नियुक्ति संविदा आधार पर विधि मान्य तरीके से (सेवाप्रदाता संस्था से/सेवानिवृत्त कार्मिक) की जावेगी।

6.3. इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् समिति में व्यवस्थापक पद पर रिक्ति होने पर सीधी भर्ती द्वारा केवल व्यवस्थापक (कनिष्ठ श्रृखंला) के पद को भरा जावेगा।

7. नियुक्ति हेतु अर्हताऐं

7.1 सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए जिस जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति में रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना ली जानी है।

7.2 **आयु :**

7.2.1 सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए, किन्तु निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु में छूट होगी:–

क्र.सं.	श्रेणी	अधिकतम आयु में छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/ विशेष पिछडा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों हेतु	5 वर्ष

3.25

2.	सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी / ई.डब्ल्यू.एस अभ्यर्थियों हेतु	5 वर्ष
3.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विशेष पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों हेतु	10 वर्ष
4.	विधवाओं और विच्छिन्न–विवाह महिलाओं हेतु	कोई आयु सीमा नहीं होगी परन्तु 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।
5.	भूतपूर्व सैनिक	अधिकतम आयु 50 वर्ष होने तक भर्ती हेतु योग्य
6.	दिव्यांग	सामान्य – 10 वर्ष ओबीसी / एमबीसी – 13 वर्ष एससी / एसटी – 15 वर्ष

नोट :– उक्त आयु में छूट असंचयी प्रभाव से देय होगी अर्थात एक अभ्यर्थी केवल किसी एक वर्ग विशेष में अधिकतम आयु में छूट का दावा कर सकता है।

परन्तु,–

(क) विधवाओं और विच्छिन्न–विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी, परन्तु 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न–विवाह के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का मान्य सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के आधार पर हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का नहीं हुआ / नहीं हुई है। अर्थात अभ्यर्थी को अधिक आयु में 3 वर्ष तक की अधिकतम छूट दी जा सकेगी।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में राजस्थान सिविल सेवा (Absorption of Ex-Serviceman) नियम 1988 के तहत 50 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक आवेदन का पात्र होगा, किन्तु मिलिट्री क्रॉस / वीरचक्र / गेल्लेन्ट्री अवार्ड प्राप्त भूतपूर्व सैनिक हेतु अधिकतम आयु 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

3.5

7.2.2 सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष की आयु प्राप्त किये जाने के मास की अंतिम तारीख होगी। यदि जन्म दिनांक मास का प्रथम दिवस है तो सेवा निवृत्ति जन्म दिनांक वाले मास के पूर्व के मास की अंतिम तारीख को होगी जिस दिवस को 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है।

7.3 **शैक्षणिक योग्यता** :

7.3.1 व्यवस्थापक (कनिष्ठ श्रृखंला) पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। कृषि स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए डिग्रीधारक को वरीयता प्रदान की जावेगी, इस हेतु प्राप्त अंको में उसे 10 अंक बोनस के रूप में दिये जायेगें। व्यवस्थापक हेतु कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान भी होना अनिवार्य होगा, **जिसके लिए अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित RSCIT उत्तीर्ण संबंधी पात्रता आवश्यक है।**

7.3.2 सहायक की शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी या समतुल्य होगी। साथ ही कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

8. आरक्षण प्रावधान :

8.1 राजस्थान राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिला अभ्यर्थियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, दिव्यॉगजनों, भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र इत्यादि के लिए रिक्तियों के आरक्षण भर्ती के समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशतों एवं शर्तों के अध्यधीन होंगे :

8.1.1 बारां ज़िले की किशनगंज व शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों एवं टीएसपी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्त अनुसूचित क्षेत्र का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

8.1.2 अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के क्रीमिलेयर के अभ्यर्थियों को उक्त आरक्षण देय नहीं है। ऐसे क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में समझे जावेंगे तथा उन्हें आवेदन भी सामान्य श्रेणी में करना होगा।

8.1.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला अभ्यर्थी को देय आरक्षण केवल राजस्थान राज्य के निवासियों हेतु ही उपलब्ध है। राजस्थान से बाहर के उक्त श्रेणियों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में आवेदन करेंगें तथा परीक्षा शुल्क आदि भी सामान्य श्रेणी का भुगतान करना होगा।

8.1.4 यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने अपनी श्रेणी से भिन्न सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है तो यह माना जावेगा कि वह अपनी श्रेणी के आरक्षण लाभ त्यागकर सामान्य श्रेणी में प्रतियोगिता करना चाहता है, किन्तु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित श्रेणी में आवेदन करना अथवा आरक्षित श्रेणी के

अभ्यर्थी द्वारा अन्य आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने को निंयोग्यता माना जावेगा।

8.1.5 यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी (SC/ST/OBC/MBC/EWS) परीक्षा/आवेदन शुल्क के अतिरिक्त अन्य छूट (आयु, अनुभव आदि) का लाभ लेते हैं तो वे सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के विरूद्ध विचारित नहीं किये जावेंगे।

8.1.6 महिला/दिव्यांग/खिलाडी एवं भूतपूर्व सैनिक का आरक्षण क्षैतिजीय होने से उनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के कटऑफ से अधिक होने पर भी वे अपनी श्रेणी में गिने जावेंगे।

8.1.7 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी सीधी भर्ती की रिक्तियों के योग्य नहीं पाये जाने पर इस वर्ग की रिक्तियां 3 वर्ष तक अग्रेषित (Carried Forward) की जावेगी, किन्तु 3 वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात ये रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया से भरी जा सकेंगी।

8.1.8 OBC/MBC/EWS श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन श्रेणियों की रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा।

8.1.9 विधवाओं और विच्छिन्न–विवाह की श्रेणी के अभ्यर्थियों की अनुपब्धता की स्थिति में प्रथमतः विपरीत क्रम में (Vice-Versa) भरे जा सकेंगे। इसके बावजूद भी इस श्रेणी की रिक्तियां रहती हैं तो उस श्रेणी की महिला अभ्यर्थी से इन रिक्तियों को भरा जा सकेगा।

8.1.10 सामान्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/ टीएसपी/ सहरिया/OBC/MBC/EWS श्रेणी की योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपब्धता की स्थिति में इनके पद इसी श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकेंगे।

8.1.11 अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी की महिला अभ्यर्थी को नॉन क्रीमिलियर ओबीसी प्रमाण पत्र उसके पिता की आय एवं निवास के आधार प्रस्तुत करना होगा। उसके पति की आय व निवास के आधार पर बनाया गया प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

8.1.12 भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन तिथि से पूर्व सेवा से सेवानिवृत होना आवश्यक है। भूतपूर्व सैनिक के आश्रित इस श्रेणी में आवेदन के पात्र नहीं हैं।

8.1.13 दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरक्षण क्षैतीजीय होने से वे अपनी श्रेणी में समायोजित किये जावेंगे। यदि कोई दिव्यांग रिक्ति बैंचमार्क दिव्यांग आवेदक की अनुपलब्धता में रिक्त रहती है तो ऐसी रिक्ति अगले वर्ष के लिए अग्रेषित की जावेगी। यदि बैंचमार्क दिव्यांग आवेदक अगले वर्ष भी उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्ति विशेषीकृत दिव्यांग श्रेणियों में अन्तर्विनिमय (Interchange) के आधार पर भरी जावेंगी।

8.1.14 उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 और परिपत्र दिनांक 21.01.2020 (कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी) के अनुसार सीधी भर्तियों की रिक्तियों का 2 प्रतिशत आरक्षण उत्कृष्ट खिलाडियों हेतु देय है। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर ऐसी रिक्तियां अग्रेषित नहीं की जावेगी और सामान्य प्रक्रिया से भर ली जावेगी। उत्कृष्ट खिलाडियों का आरक्षण क्षेतीजीय होने के कारण आवेदक को अपनी श्रेणी में समायोजित कर लिया जावेगा।

8.2 **<u>प्रमाण पत्र</u>** :–

8.2.1 जाति प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए।

8.2.2 महिला अभ्यर्थियों हेतु, जो कि SC/ST/OBC/MBC/EWS/TSP और सहरिया श्रेणी से सम्बद्ध है, को आवेदन पंजीकरण की तिथि से पूर्व का जाति प्रमाण–पत्र पिता के नाम से जारी होना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें इस श्रेणी का परिलाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

8.2.3 टीएसपी एवं सहरिया क्षेत्र हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिसूचित क्षेत्र का मूल निवास/जाति प्रमाण–पत्र आवेदन पंजीकरण की तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

8.2.4 राजस्थान के OBC/MBC श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु उनके माता–पिता के नाम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण–पत्र के साथ क्रिमीलेयर/नॉन क्रिमीलेयर तथा निवास स्थान की स्पष्ट प्रविष्टियां अंकित होना आवश्यक है। यह प्रमाण–पत्र आवेदन पंजीकरण तिथि से एक वर्ष पूर्व का नहीं होना चाहिए। राजस्थान के OBC/MBC श्रेणी की महिलाओं को आय प्रमाण–पत्र उनके माता–पिता के नाम से जारी किया हुआ होना चाहिए। पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

8.2.5 आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी का आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है और आवेदन पंजीकरण तिथि से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी आय व सम्पत्ति प्रमाण–पत्र का होना आवश्यक है।

8.2.6 दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों की बैंचमार्क दिव्यांगता के स्पष्ट अंकन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र आवेदन तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

9. नियुक्ति के लिए निरर्हताए :

9.1 ऐसा अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवन साथी जीवित हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक समिति यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट नहीं दे दे।

9.2 ऐसा अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे जन से हुआ हो जिसका पहले से विधिक जीवन साथी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक समिति यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट नहीं दे दे।

9.3 कोई भी विवाहित अभ्यर्थी जिसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं.28)में दिया गया है।

9.4 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानों वाला कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु,–

9.4.1 1 जून, 2002 को दो से अधिक संतानों वाला वह व्यक्ति जो अन्यथा निरर्हित नहीं है, तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं हो जाये;

9.4.2 जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हुई हो वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा ;

9.4.3 इस उप–नियम के उपबंध समिति के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने के लिए प्रभावी नियम के अधीन मृतक कार्मिक की विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे;

9.4.4 किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय पूर्व प्रसव से पैदा हुई ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो निःशक्तता से ग्रस्त हो;

9.4.5 कोई अभ्यर्थी जिसने वैधरूप से पुनर्विवाह किया है और ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है, वह ऐसे पुनर्विवाह से प्रथम प्रसव की संतान तक निरर्हित नहीं होगा ।

9.4.6 यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा किसी राजकीय शिशुगृह से निराश्रित बालक/बालिका को विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए दत्तक ग्रहण कर लिया है और ऐसी दत्तक ग्रहीत संतान के कारण उसकी संतानों की संख्या में 01.06.2002 के बाद वृद्धि होकर दो से अधिक हो जाये तो ऐसे प्रकरण में ऐसी दत्तकग्रहीत संतान को संतानों की संख्या में नहीं माना जायेगा ।

10. आवेदन आमंत्रित करना

व्यवस्थापक (कनिष्ठ श्रृखंला) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को ऐसी रीति से जो ठीक समझी जाये विज्ञापित करके आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में निम्नांकित खण्ड होंगे :–

10.1. पद की प्रकृति और कर्तव्य, योग्यताएं, अनुभव, आयु सीमा, विभिन्न प्रवर्गों को तथा भूतपूर्व सैनिकों, विनिर्दिष्ट योग्यजनों इत्यादि को सरकार द्वारा अनुमत सीमा में रिक्तियों का आरक्षण, वेतनमान, पदोन्नति के अवसर और अन्य समीचीन सूचनाऐं लिखित परीक्षा द्वारा चयन इत्यादि; और

10.2. किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, समिति द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद का वेतन मैट्रिक्स और ग्रेड वेतन, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा:

10.3. भर्ती हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी किसी एक जिले की सोसायटियों हेतु ही आवेदन कर सकेगा तथा उसे आवेदन करते समय समितियों की प्राथमिकता प्रस्तुत करनी होगी।

11. सीधी भर्ती की आवृत्ति

सीधी भर्ती सामान्य परिस्थितियों में प्रति वर्ष की जावेगी बशर्ते जिले की समितियों में व्यवस्थापक के भर्ती योग्य पद रिक्त हों।

12. आवेदन का प्रारूप

आवेदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप में किया जायेगां और बोर्ड के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो उनके द्वारा समय–समय पर नियत की जाये, प्राप्त किया जा सकेगा अथवा निर्धारित प्रारूप में नियत फीस संदाय करते हुए आवेदन कर सकेगा।

13. आवेदन फीस

13.1. व्यवस्थापक (कनिष्ठ श्रृखंला) के पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी बोर्ड को ऐसी फीस का, जो वह समय–समय पर नियत करे, ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करे, संदाय करेगा। आवेदन फीस का निर्धारण भर्ती बोर्ड द्वारा निम्न रीति से किया जावेगा :–

13.1.1 सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी तथा ओबीसी एवं एमबीसी के क्रिमीलियर अभ्यर्थियों तथा इन श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों से पूर्ण फीस का प्रभार (Charge) किया जावेगा।

13.1.2 SC/ST अभ्यर्थी तथा टीएसपी / सहरिया क्षेत्र के SC/ST/EWS अभ्यर्थियों तथा OBC/MBC के नॉन क्रिमीलियर अभ्यर्थियों (महिला / पुरूष) से 50 प्रतिशत परीक्षा शुल्क का प्रभार (Charge) किया जावेगा।

13.1.3 SC/ST/OBC/MBC और महिला अभ्यर्थियों, जो राजस्थान से बाहर के निवासी हैं उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाकर पूर्ण परीक्षा शुल्क का प्रभार (Charge) वसूला जावेगा।

13.2. परीक्षा शुल्क की वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित किया जायेगा; सिवाय उस दशा के जब राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के द्वारा परीक्षा की विज्ञप्ति को किसी भी कारण से निरस्त किया जाये तो ऐसी दशा में परीक्षा शुल्क की वापसी की जायेगी:

परन्तु शुल्क वापसी का दावा अभ्यर्थी को इस हेतु दी गई सूचना से एक मास की अवधि में प्राप्त नहीं होने की दशा में स्वीकार नहीं होगा।

14. परीक्षा का आयोजन

ऑनलाईन / ऑफलाईन लिखित परीक्षा का आयोजन भर्ती बोर्ड द्वारा किया जावेगा।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पिय प्रश्न) होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जावेगा। लिखित परीक्षा में निम्न विषय सम्मिलित होंगे जिनका सिलेबस व अन्य विवरण निम्न प्रकार रहेगा :–

प्रश्न पत्र	विषय	अधिकतम अंक	समय
सामान्य ज्ञान	❖ राजस्थान का इतिहास, संस्कृति एवं विरासत ❖ राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था ❖ राजस्थान का भूगोल ❖ राजस्थान की कृषि, व्यवसाय, उद्योग एवं अर्थव्यवस्था ❖ दैनिक विज्ञान ❖ भारत का संविधान, ❖ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ❖ समसामयिक घटनाएं	100 अंक	3 घण्टे
क्वान्टीटेटिव एप्टीटयूड	❖ तार्किक एवं आधारभूत ❖ संख्यात्मक अभियोग्यता	50 अंक	
कम्प्यूटर	❖ बैसिक कम्प्यूटर ज्ञान **RSCIT पाठयक्रम / परीक्षा**	50 अंक	

3.5

	अनुरूप		
जनरल फाईनेन्शियल अवेयरनेस	❖ लेखांकन ❖ वित्तीय विश्लेषण ❖ सांख्यिकी	50 अंक	
हिन्दी	❖ सामान्य हिन्दी	50 अंक	
अंग्रेजी	❖ सामान्य अंग्रेजी	50 अंक	

14.1 लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर जिलेवार मेरिट तैयार की जावेगी।

14.2 प्रत्येक जिले की पृथक वरीयता सूची जारी की जावेगी।

14.3 प्रत्येक जिले के लिए एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जावेगी जो एक वर्ष या आगामी नियुक्तियां होने तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। प्रतीक्षा सूची में संवर्गवार रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी रखे जावेंगे।

15. अर्हक अंकः

GEN/OBC/MBC अभ्यर्थियों हेतु लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक (Qualifing Marks) कुल अंकों के 33 प्रतिशत होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु अर्हक अंक 28 प्रतिशत होंगे। भर्ती बोर्ड द्वारा श्रेणीवार एक योग्यता सूची (Merit) तैयार की जांवेगी, जो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जावेगी। जहां दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो वहां जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले आती हो उसे वरिष्ठ समझा जावेगा। यदि किसी प्रकरण में जन्मतिथि भी समान हो तो उस अभ्यर्थी को जिसकी शैक्षणिक योग्यता उच्चतर हो उसे वरिष्ठ माना जावेगा। यदि जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता भी समान हो तो चयन प्रक्रिया हेतु वांछित डिग्री में उच्च्तर अंक वाले आवेदक को वरिष्ठता/प्राथमिकता दी जावेगी।

16. आवेदनों की संवीक्षा

बोर्ड द्वारा प्राप्त ऑफलाईन/ऑनलाईन आवेदनों की संवीक्षा लिखित परीक्षा के पूर्व नहीं करेगा, किन्तु परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा।

17. दस्तावेज सत्यापन

लिखित परीक्षा के समग्र प्राप्तांकों के आधार पर भर्ती बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन उपरांत भर्ती बोर्ड द्वारा अन्तिम परिणाम राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड की बेवसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।

18. नियुक्ति की अनुशंषा

18.1 राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, श्रेणीवार सूची तैयार करेगा और उसे प्रत्येक

अभ्यर्थी के समेकित प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रम में व्यवस्थित करेगा और नियुक्ति अधिकारी को नियुक्ति की अभिशंषा भिजवायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन, मेडिकल तथा बॉण्ड यदि आवश्यक हो, की औपचारिकताऐं पूर्ण कर नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

18.2 इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी स्वयं की योग्यता से चयन सूची में अनारक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों में स्थान प्राप्त करते हैं वे तब तक अनारक्षित रिक्तियों में गिने जायेंगे जब तक उन्होंने आवेदन फीस के अलावा आयु एवं अनुभव आदि की छूट का लाभ नहीं लिया हो। किसी आरक्षित प्रवर्ग यथा आयु एवं अनुभव में छूट का लाभ ले लेने के पश्चात् वे अभ्यर्थी सभी सेवा प्रकल्पों में अपने आरक्षित प्रवर्ग में ही गिने जायेंगे।

19. नियुक्तियां

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा अनुशंषित योग्यता सूची अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करेगा।

नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ या उच्चतर), चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण करवायेगा। उक्त चिकित्सा परीक्षण हेतु यदि कोई शुल्क देय है तो अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जावेगा।

नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस चरित्र सत्यापन करवाया जावेगा। कार्मिकों की अति आवश्यकता होने पर, अपवाद स्वरूप, चरित्र सत्यापन से पूर्व अभ्यर्थी से एक शपथ पत्र लेकर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति दी जा सकेगी, किन्तु ऐसी नियुक्ति पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन होगी।

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

20. परिवीक्षा की कालावधि

सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा तथा उन्हें संबंधित समिति से नियमानुसार परीवीक्षा अवधि में मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा

3-6

21. परिवीक्षा के दौरान वेतन

सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये।

22. परिवीक्षाकाल के दौरान असंतोषप्रद प्रगति

यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा काल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पायी गयी हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, समुचित सुनवाई अवसर प्रदान करते हुए किसी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

23. स्थायीकरण

परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

24. प्रतिभूति :

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से 25000/– रूपये सिक्योरिटी राशि जमा करवायी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी यदि परीवीक्षा काल से पूर्व पद त्याग करते हैं तो उक्त राशि समिति द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

25. प्रशिक्षण

25.1 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

25.2 प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय संबंधित समिति द्वारा वहन किया जावेगा।

25.3 अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति देने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र हस्ताक्षरिता करना होगा कि यदि वह नियुक्ति तिथि से दो वर्ष के भीतर अपनी सेवाओं से त्यागपत्र दे देता है तो उसे प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय अथवा तीन माह का वेतन, जो भी अधिक हो, संबंधित समिति को जमा कराना होगा।

भाग–4
पदोन्नति

26. पदोन्नति

26.1 व्यवस्थापक (कनिष्ठ श्रृखंला), **ग्राम सेवा सहकारी समिति (प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति/वृहत बहुउद्देशीय सहकारी ऋणदात्री समिति (पैक्स/लैम्पस)) को पदोन्नति के अवसर समिति में निम्नानुसार देय होगे–**

क.स.	पद का नाम	भर्ती का तरीका
1.	व्यवस्थापक (कनिष्ठ श्रृखंला)	सीधी भर्ती
2.	व्यवस्थापक (वरिष्ठ श्रृखंला)	पदोन्नति
3.	व्यवस्थापक (चयन श्रृखंला)	पदोन्नति
4.	व्यवस्थापक सुपर टाईम श्रृखंला	पदोन्नति

26.2 **पैक्स/लैम्पस में पदोन्नति के सामान्य प्रावधानः–**

26.2.1 पैक्स/लैम्पस में पदोन्नति दिये जाने का विनिश्चय संचालक मण्डल द्वारा किया जाएगा, जो रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर द्वारा अनुमोदित होंगे। नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन कार्यरत कार्मिक के अनुभव के आधार पर पदोन्नति सम्पादित होगी।

26.2.2 पैक्स/लैम्पस का कार्मिक रिक्त पद से नीचे के पद पर नियमों के तहत स्थाई न होने की स्थिति में पदोन्नति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

26.2.3 पैक्स/लैम्पस कार्मिक का अनुभव उसके स्थाई पद पर नियुक्ति की तारीख से आंकी जाएगी।

26.2.4 एक वर्ष में पदोन्नत किए गए कार्मिक, उसी वर्ष में सीधी भर्ती वाले कार्मिक से वरिष्ठ माने जाएंगे।

26.2.5 यदि किसी कार्मिक के विरूद्ध प्रताड़ना/परिनिन्दा अथवा असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोके जाने के दण्ड से (गत 5 वर्ष पूर्व तक) दण्डित किया गया है तो प्रत्येक दण्ड हेतु एक–एक वर्ष तथा कार्मिक को संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से (गत 5 वर्ष पूर्व तक) दण्डित किया है तो पदोन्नति हेतु कार्मिक उतने ही वर्ष अयोग्य रहेगा जितनी वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं।

26.2.6 पदोन्नति हेतु कार्मिक के अंतिम पांच वर्षों के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदनों पर विचार किया जाएगा। जिस कार्मिक के खिलाफ

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 के तहत कोई मामला विचाराधीन है/ पैक्स/लैम्पस कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है तो उसको पदोन्नति के लिये सम्मिलित किया जाएगा किन्तु जब तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक पदोन्नति के लिये कार्मिक का लिफाफा बन्द रखा जाएगा तथा इन प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अनुसार ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस कार्मिक के खिलाफ अधिनियम की धारा 57(2) के तहत निर्णय होकर वसूली के आदेश दे दिए गए हैं उसे पदोन्नति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह अपील मे निर्दोष साबित नहीं हो जाता।

26.2.7 पैक्स/लैम्पस के जिस कार्मिक के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जाँच की जाकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो उसे पदोन्नति के योग्य नहीं माना जाएगा।

26.2.8 फौजदारी प्रकरण उस दिन से लम्बित माना जावेगा जिस दिन सक्षम न्यायालय में पैक्स/लैम्पस कार्मिक के विरूद्ध इस्तगासा अथवा चालान (Report of police) प्रस्तुत कर दिया गया हो अथवा न्यायालय द्वारा उसका प्रसंज्ञान लिया गया हो।

26.2.9 संतान संबंधी प्रावधान पदोन्नति पर भी लागू होंगे। यदि कार्मिक के दिनांक 1.6.2002 को अथवा इसके पश्चात दो से अधिक संतान हैं तो जिस वर्ष में कार्मिक की पदोन्नति होनी थी उससे आगामी 3 वर्ष के लिए पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होगा।

नोटः– दिनांक 1.6.2002 को अथवा इसके पश्चात दो से अधिक संतान संबंधी प्रकरणों में **राज्य सरकार के अद्यतन नियमों के अनुसार पदोन्नति हेतु पात्रता का निर्धारण किया जावेगा।**

26.3 पदोन्नति की प्रकिया

26.3.1 पैक्स/लैम्पस में पदोन्नति के लिए कार्मिक के अनुभव सहित सभी उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में पदोन्नति का विनिश्चय करने के बाद योग्य (सक्षम) व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी जिनको पदोन्नत करने पर विचार किया जाना है और यह सूची पदोन्नति समिति के सम्मुख रखी जाएगी तथा इस सूची में अंकित कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा व्यक्तिगत पत्रावली भी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

26.3.2 पैक्स/लैम्पस कार्मिकों की पदोन्नति के लिए अनुभव का निर्धारण निम्न प्रकार होगा–

2.5

क.स	पद	अनुभव
1.	व्यवस्थापक (वरिष्ठ श्रृखंला)	व्यवस्थापक जूनियर स्केल के पद पर 5 वर्ष
2.	व्यवस्थापक (चयन श्रृखंला)	व्यवस्थापक के पद पर स्थाई सेवा का 12 वर्ष का अनुभव
3.	व्यवस्थापक सुपर टाईम श्रृखंला	व्यवस्थापक के पद पर स्थाई सेवा का 20 वर्ष का अनुभव

26.3.3 पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर कार्मिकों के पदोन्नति आदेश अध्यक्ष/ संचालक मण्डल, समिति द्वारा जारी किए जाएंगे।

26.3.4 पदोन्नति एवं इसकी प्रक्रिया के संबंध में समय–समय पर रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश समिति पर लागू होंगे।

26.3.5 पदोन्नति के लिए जिला स्तरीय चयन समिति ही पदोन्नति समिति होगी।

26.4 व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति (प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति/वृहत बहुउद्देशीय सहकारी ऋणदात्री समिति (पैक्स/लैम्पस)) को उपरोक्त पदोन्नति के अतिरिक्त बैंकिंग सहायक, केन्द्रीय सहकारी बैंक के पद पर चयन किया जा सकेगा।

26.5 **बैंकिंग सहायक केन्द्रीय सहकारी बैक के पद पर चयन की प्रक्रिया**

26.5.1 अर्हताऐं– बैंकिंग सहायक पद पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु व्यवस्थापक पद पर कार्यरत कार्मिक हेतु निर्धारित अर्हताऐं निम्नानुसार होगी :–

A.	शैक्षणिक योग्यता	भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री।
B.	अनुभव	**जिस वर्ष चयन किया जा रहा हो उसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आवेदक** व्यवस्थापक **के पास ग्राम सेवा सहकारी समिति/पैक्स/लैम्पस में स्क्रीनिंग के पश्चात् समिति के मुख्य कार्यकारी के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।**
C.	आयु	**जिस वर्ष चयन किया जा रहा हो उसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक को आवेदक 26 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो एवं 40 वर्ष से अधिक का नहीं हुआ हो।**

26.5.2 रिक्तियों का निर्धारण –

26.5.2.1 किसी भी केन्द्रीय सहकारी बैंक की सक्षम स्तर से स्वीकृत बैंकिंग सहायक पदों के बीस प्रतिशत पदों पर व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति से बैंकिंग सहायक के पद पर चयन किया जा सकगा।

26.5.2.2 रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर द्वारा निर्धारित स्वीकृत पदों में पद रिक्त होने अथवा पदों की नई स्वीकृतियाँ प्राप्त होने पर. रिक्त पदों का निर्धारण वर्ष में होने वाले रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवर्ष एक अप्रैल की स्थिति में किया जाएगा। रिक्त पदों की सूचना बैंक के प्रबन्ध निदेशक द्वारा संचालक मण्डल/प्रशासक के अनुमोदन उपरान्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर को सूचित करते हुए अधिनियम की धारा 29(बी) के तहत गठित सहकारी भर्ती बोर्ड को प्रतिवर्ष 15 अप्रेल तक भर्ती हेतु प्रेषित की जाएगी।

26.5.3 चयन की प्रकिया–

व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति/पैक्स/लैम्पस से बैंकिंग सहायक के रिक्त पदो पर चयन की प्रक्रिया सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा सम्पादित की जावेगी।

26.6 स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण–

प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियॉ/वृहत् कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां के कर्मचारियों की चयन, नियुक्ति सेवा शर्ते–2008 में प्रावधित स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को भविष्य के लिए समाप्त किया जाता है।

दिनांक 10.07.2017 से पूर्व नियुक्त पैक्स/लैम्पस में मुख्य कार्यकारी का कार्य कर रहे व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक का स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण रजिस्ट्रार, राहकारी संस्थायें द्वारा जारी आदेश के अध्यधीन किया जाएगा। उक्तानुसार स्क्रीनिंग की प्रक्रिया केवल एक बार ही की जा सकेगी तत्पश्चात् पुनः रक्रीनिंग के माध्यम से व्यपस्थापक पद पर नियमितिकरण नहीं किया जा सकेगा। स्क्रीनिंग के पश्चात् समितियों में रिक्त रहे व्यवस्थापक के पदों पर सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।

भाग–5
विविध

27. सेवाभिलेख

27.1 समिति के कर्मचारियों का सेवाभिलेख यथा सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पुस्तिका, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, इत्यादि संबंधित समिति द्वारा संधारित किया जावेगा।

27.2 व्यवस्थापक को वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रतिवर्ष 30 अप्रेल तक संबंधित अध्यक्ष / प्रशासक समिति को प्रस्तुत करना होगा।

27.3 व्यवस्थापक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रविष्टि हेतु चैनल निम्न प्रकार रहेगा :–

27.3.1 **प्रतिवेदक अधिकारी** – अध्यक्ष / प्रशासक समिति

27.3.2 **समीक्षक / स्वीकृतकर्ता** – संचालक मण्डल / प्रशासक समिति

27.4 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित होने पर संबंधित कार्मिक को सूचित करना होगा।

27.5 प्रतिकूल टिप्पणी के विरूद्ध अपील उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।

27.6 उपस्थिति पंजिका संबंधित समिति में संधारित की जावेगी। वेतन आहरण से पूर्व व्यवस्थापक द्वारा अपनी उपस्थिति का विवरण स्वयं के द्वारा प्रमाणित कर **संबंधित बैंक शाखा** को प्रतिमाह 25 तारीख को भिजवाना होगा।

28. निर्योग्यताऐं :

कोई भी कर्मचारी अपने पद पर बना नहीं रहेगा, यदि :–

28.1. उसके विरूद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 में निर्णय पारित कर दिया गया हो तथा उक्त निर्णय को किसी अन्य न्यायलय द्वारा स्थगित नहीं किया गया हो। ऐसी स्थिति में निर्धारित अनुशासनात्मक प्रक्रिया अपनाते हुए उसे तुरन्त सेवामुक्त कर दिया जावेगा।

28.2. उसके द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 39 का उल्लंघन किया गया हो।

28.3. वह राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 109 में वर्णित अपराधों में से किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध हो गया हो।

28.4. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर सजा सुनाई गई हो एवं सजा को अन्य न्यायालय द्वारा स्थगित / अपास्त नहीं किया गया हो।

29. सेवानिवृति :

29.1. व्यवस्थापक की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर होगी।

नोट :– सेवानिवृति के पश्चात् व्यवस्थापक को किसी भी ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक पद पर पुनः सेवा में किसी भी स्थिति में नियोजित नहीं किया जावेगा, परन्तु समिति में पद रिक्त होने पर संविदा पर सहायक के पद रखा जा सकेगा।

29.2. शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिये जाने पर व्यवस्थापक को अनिवार्य सेवानिवृति दी जा सकेगी। शारीरिक अक्षमता का मापदण्ड वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया गया हो।

29.3. व्यवस्थापक द्वारा 15 वर्ष की पूर्ण सेवा तथा 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, यदि उसका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसकी अनिवार्य सेवानिवृति की जा सकेगी। किन्तु ऐसी अनिवार्य सेवानिवृति से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया जो राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित है, अमल में लानी अनिवार्य होगी।

30. त्यागपत्र :

30.1. व्यवस्थापक द्वारा स्वेच्छा से पद त्याग किया जा सकेगा। व्यवस्थापक के त्याग पत्र को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की शक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी निहित होंगी।

30.2. त्यागपत्र हेतु लिखित में आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी को 30 दिवस पूर्व करना होगा।

30.3. व्यवस्थापक का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा यदि उसके विरूद्ध किसी समिति में धन के गबन अथवा वित्तीय दुरूपयोग का प्रकरण विचाराधीन हो।

30.4. व्यवस्थापक द्वारा परिवीक्षाकाल में पद से त्यागपत्र देने पर उसे उसे प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय अथवा तीन माह का वेतन, जो भी अधिक हो, संबंधित समिति को जमा कराना होगा।

31. अनुकम्पा नियुक्ति :

31.1. सेवाकाल के दौरान व्यवस्थापक का आकस्मिक निधन होने पर उसका विधिक उत्तराधिकारी अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

31.2. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निधन के 90 दिवस में संबंधित समिति में आवेदन करना होगा।

31.3. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु संबंधित द्वारा नियत समयावधि में आवेदन नहीं किये जाने की स्थिति में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, राजस्थान द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

भाग 6
संस्थापन

32. अवकाश :

32.1. आकस्मिक अवकाश

32.1.1 वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे, जो अध्यक्ष समिति द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे।

32.1.2 वर्ष से तात्पर्य 1 जनवरी से 31 दिसम्बर होगा।

32.1.3 वर्ष के दौरान अनुपयोगी आकस्मिक अवकाश वर्ष समाप्ति पर रद्द माने जायेंगे।

32.2. उपार्जित अवकाश

32.2.1 एक वर्ष के सेवा पर 20 दिवस का उपार्जित अवकाश देय होगा।

32.2.2 उपार्जित अवकाश अधिकतम 240 दिवस तक संचित हो सकेंगे।

32.2.3 संचित उपार्जित अवकाश के बदले सेवा निवृत्ति पर नकद भुगतान किया जा सकेगा।

32.2.4 उपार्जित अवकाश अध्यक्ष समिति द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

32.3. चिकित्सा अवकाश

32.2.1 व्यवस्थापकों को एक वर्ष के सेवा पर 10 दिवस का चिकित्सा अवकाश देय होगा।

32.2.2 चिकित्सा अवकाश राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अध्यक्ष समिति द्वारा वीकृत किया जा सकेगा।

32.4. अन्य अवकाश :

32.4.1 महिला व्यवस्थापक को मातृत्व अवकाश 180 दिवस का देय होगा।

32.4.2 मातृत्व अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो बच्चों हेतु देय होगा।

33. वेतन :

33.1. व्यवस्थापक का वेतन निम्नानुसार देय होगा :—

क.	पद का नाम	वेतनमान
1.	व्यवस्थापक(कनिष्ठ श्रृखंला)	**18200—57900 (ग्रेड पे 1900)**
2.	व्यवस्थापक (वरिष्ठ श्रृखंला)	19200—60800 (ग्रेड पे 2000)
3.	व्यवस्थापक (चयन श्रृखंला)	20800—65900 (ग्रेड पे 2400)
4.	व्यवस्थापक सुपर टाईम श्रृखंला	21500—68000 (ग्रेड पे 2400)

320

33.2. व्यवस्थापक का उपरोक्तानुसार वेतनमान राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की अनुपालना में रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के जरिये संशोधित किया जा सकेगा।

34. चयनित वेतनमान :

34.1. 9, 18, 27 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण होने पर चयनित वेतन श्रृंखला का लाभ उन्हीं पैक्स/लैम्पस के व्यवस्थापकों को देय होगा, जो पूर्व की कैडर व्यवस्था अथवा नियमानुसार स्क्रीनिंग के माध्यम से चयनित होकर कार्यरत हों अथवा इन नियमों के तहत सीधी भर्ती से नियुक्त होंगे।

34.2. चयनित वेतनमान हेतु पात्रता

चयनित वेतन श्रंखला उन्हीं व्यवस्थापकों को दी जा सकेगी जिनकी पैक्स/लैम्पस निम्नांकित शर्तों की पूर्ति करती हों:

34.2.1 ऐसी समिति जो कम से कम विगत 3 वर्षों से निरन्तर लाभ व वर्तमान में भी संचित लाभ की स्थिति में हो।

34.2.2 गत वित्तीय वर्ष में समिति ने नियमानुसार आवश्यक निधियों एवं कोष में अन्तरण व सदस्यों को लाभांश वितरण कर दिया हो।

34.2.3. समिति असंतुलन में नहीं हो।

34.2.4 समिति का अद्यतन ऑडिट हो रहा हो।

34.3. 9, 18 व 27 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण होने पर देय वेतन श्रृंखला :

समिति व्यवस्थापक को 9 वर्ष, 18 वर्ष व 27 वर्ष के **सेवाकाल संतोषजनक रुप से पूर्ण** करने पर निम्नानुसार वेतन श्रृंखला प्रदान की जावेगी :–

क्र.स.	सेवाकाल	देय वेतन श्रृखंला
1.	9 वर्ष के सेवाकाल पर	19200–60800 (ग्रड पे 2000)
2.	18 वर्ष के सेवाकाल पर	20800–65900 (ग्रड पे 2400)
3.	27 वर्ष के रोवाकाल पर	21500–68000 (ग्रड पे 2400)

34.4. 9, 18 व 27 वर्ष के सेवाकाल की गणना :

सेवाकाल की गणना व्यवस्थापक के पूर्व की कैडर व्यवस्था में चयन होकर मुख्य कार्यकारी के पद पर ज्वाइनिंग की तिथि से अथवा नियमानुसार 2017 से पूव स्क्रीनिंग के माध्यम से चयनित होकर मुख्य कार्यकारी के पद पर ज्वाइनिंग की तिथि से अथवा सहकारी भर्ती बोर्ड के द्वारा चयनित होकर मुख्य कार्यकारी के पद पर ज्वाइनिंग तिथि से की जाएगी।

34.5. संतोषजनक सेवाकाल पूर्ण की शर्ते :

संतोषजनक सेवाकाल पूर्ण करने की शर्तें निम्नानुसार होंगी:–

3,6

34.5.1 कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तानें नहीं होनी चाहिए। उक्त तिथि को दो से अधिक संतान होने पर चयनित वेतनमान का लाभ तीन वर्ष पश्चात देय होगा।

34.5.2 कार्मिक के विरुद्ध कोई फौजदारी/आपराधिक प्रकरण विचाराधीन न हो।

34.5.3 कार्मिक के विरुद्ध कोई अधिनियम की धारा 55/57 के तहत कोई प्रकरण निर्णित/विचाराधीन न हो।

34.5.4 कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण विचाराधीन न हो।

34.5.5 यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध चेतावनी अथवा असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से (गत 9 वर्ष पूर्व तक) दण्डित किया जा चुका है तो प्रत्येक दण्ड हेतु चयनित वेतन श्रृंखला देय तिथि से एक वर्ष पश्चात स्वीकृत की जावेगी। यदि किसी कार्मिक को संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से (गत 9 वर्ष पूर्व तक) दण्डित किया गया है तो चयनित वेतनमान देय तिथि से उतने ही वर्ष पश्चात देय होगी, जितनी वेतन वृद्धियां रोकी गयी हैं।

34.6. चयनित वेतनमान स्वीकृति की प्रक्रिया :

चयनित वेतनमान स्वीकृति हेतु व्यवस्थापक को अध्यक्ष समिति को आवेदन करना होगा। अध्यक्ष समिति संस्थापन समिति के परीक्षण उपरान्त समिति की अनुशंषा पर विचार कर पात्र पाये जाने पर चयनित वेतन श्रंखला का लाभ दे सकेगा। अध्यक्ष समिति चयनित वेतन श्रंखला में वेतन निर्धारण/आदेश तैयार करवाने इत्यादि के संबंध में बैंक के प्रधान कार्यालय के संस्थापन शाखा के प्रभारी की मदद ले सकेगे अथवा लेखा सेवा के सेवानिवृत अधिकारी से सलाह ले सकेगे।

35. मंहगाई भत्ता :

व्यवस्थापकों को मंहगाई भत्ता रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।

36. मकान किराया भत्ता :

समिति मुख्यावास पर व्यवस्थापक के आवास हेतु भवन उपलब्ध होने के कारण मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा, परन्तु जिन समितियों में भवन उपलब्ध नहीं है वहां मूल वेतन का 5 प्रतिशत मकान किराया भत्ता देय होगा।

37. यात्रा भत्ता :

37.1. व्यवस्थापक के मुख्यावास से 15 किमी की परिधि से बाहर यात्रा करने पर बस/रेल की सामान्य श्रेणी का किराया पुनर्भरण अनुज्ञेय होगा।

37.2. व्यवस्थापक को दैनिक यात्रा भत्ता 100 रूपये प्रति दिवस की दर से अनुज्ञेय होगा। दैनिक भत्ता अधिकतम 10 दिवस प्रतिमाह के लिए अनुज्ञेय होगा।

37.3. दैनिक यात्रा भत्ता हेतु पूर्ण दिवस की गणना यात्रा प्रारंभ से समाप्ति तक कम से कम 12 घंटे एवं अधिकतम 24 घंटे होगी।

37.4. दिवस अर्धरात्रि 12 बजे से प्रारंभ होगा अर्धरात्री 12 बजे समाप्त होगा।

38. भविष्य निधि :

समिति के कर्मचारियों से नियमानुसार भविष्य निधि अंशदान काटा जाकर भविष्य निधि आयुक्त के यहां संबंधित समिति द्वारा जमा कराया जावेगा।

39. ग्रेच्युटि :

व्यवस्थापकों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटि अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार ग्रेच्युटी देय होगी।

40. अतिरिक्त कार्यवाहक भत्ता :

40.1. किसी व्यवस्थापक को अधिकतम एक समिति का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकेगा।

40.2. समिति व्यवस्थापक द्वारा किसी अन्य समिति के व्यवस्थापक का अतिरिक्त कार्य करने पर अतिरिक्त कार्यवाहक भत्ता देय होगा।

40.3. अतिरिक्त कार्यवाहक भत्ता रूपये 3000/– प्रतिमाह होगा जो वास्तविक कार्य अवधि के आधार पर देय होगा।

41. अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अपील :

41.1. दुराचरण :

दुराचरण के सामान्य अर्थ से पूर्वाग्रह न रखते हुए निम्नांकित कृत्य एवं त्रुटियां लघु व गम्भीर दुराचरण की श्रेणी में परिगणित होंगे: —

41.1.1 लघु दुराचरण

41.1.1.1 संस्था परिसर मे उपद्रव करना।

41.1.1.2 सुरक्षा निर्देशों की पालना मे असफलता।

41.1.1.3 कार्य मे लापरवाही व उपेक्षा।

41.1.1.4 कार्य में असक्षमता व सुस्ती।

41.1.1.5 कार्य स्थल को कार्य के घन्टों में बिना सक्षम स्वीकृति के छोड़ना।

41.1.1.6 बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहना।

41.1.1.7 असत्य कारण से अवकाश प्राप्त करना।

41.1.1.8 सौंपे गये रिकार्ड व स्टाक की उचित देखभाल न करना।

41.1.1.9 कार्यस्थल को साफ सुथरा न रखना।

41.1.1.10 संस्था कार्य मे बाधा पहुंचाना।

41.1.1.11 आदतन कार्य पर देर से आना।

41.1.1.12 कर्तव्य पालन में लापरवाही।

41.1.2 **गम्भीर दुराचरण**

41.1.2.1 समय पर कार्यालय नहीं खोलना।

41.1.2.2 अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और वरिष्ट कर्मचारियो/अधिकारियों का जान–बूझकर अपमान व लड़ाई–झगड़ा करना।

41.1.2.3 आदेशों/निर्देशों की पालना न करना।

41.1.2.4 अन्य कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाना।

41.1.2.5 संस्था के कार्य निष्पादन को धीमा करना।

41.1.2.6 स्थानान्तरण आदेशों की पालना से इंकार करना।

41.1.2.7 संस्था की सम्पत्ति व फण्ड में धोखा चोरी बेईमानी तथा दुरूपयोग।

41.1.2.8 रिश्वत देना प्रस्तावित करना अथवा मांगना।

41.1.2.9 संस्था से बिना स्वीकृति अनुपस्थित रहना।

41.1.2.10 सेवा में रहते हुए प्राईवेट कार्य व व्यापार करना।

41.1.2.11 कार्य अवधि मे असभ्य व्यवहार करना।

41.1.2.12 संस्था में शराब व अन्य मादक पदार्थो का सेवन करना।

41.1.2.13 कार्य में आदतन लापरवाही रखना।

41.1.2.14 संस्था में जुआ खेलना।

41.1.2.15 असत्य सूचना देना।

41.1.2.16 स्थानान्तरण पर समस्त रिकोर्ड का चार्ज नहीं देना।

41.1.2.17 संस्था के रिकार्ड व सम्पत्ति को नष्ट करना, विद्रुप करना या उसमे हेराफेरी करना।

41.1.2.18 धारा 57 में दोषी सिद्ध होना।

41.1.2.19 उपनियम, सेवानियमों के विरूद्ध नियुक्ति, भुगतान कर समिति की सम्पदा कम करने पर।

41.2. **शास्ति अधिरोपण**

41.2.1 लघु दुराचरण

लघु दुराचरण में दोषी पाये जाने पर निम्न शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी:–

41.2.1.1 प्रताडना/परिनिन्दा (सेन्सर)

41.2.1.2 असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकना

41.2.2 गंभीर दुराचरण

41.2.2.1 संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना।

41.2.2.2 वित्तीय हानि की वसूली।

41.2.2.3 सेवा समाप्ति।

41.2.2.4 अनिवार्य सेवानिवृति।

41.2.2.5 सेवा बर्खास्तगी।

41.3. शास्ति अधिरोपण प्रकिया

41.3.1 लघु दुराचरण :

43.3.1.1 दुराचरण का ब्यौरा अंकित करते हुये नोटिस जारी करना।

43.3.1.2 नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेना।

43.3.1.3 पारित निर्णय/दण्डादेश की प्रति संबंधित को प्रेषित करना।

41.3.2 गंभीर दुराचरण :

43.3.2.1 दुराचरण का ब्यौरा अंकित करते हुये नोटिस जारी करना।

43.3.2.2 प्रत्युत्तर असंतोषप्रद होने पर आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी करना।

43.3.2.3 आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र के कम में प्राप्त प्रत्युत्तर असंतोषप्रद पाये जाने पर नियमित जांच करवाना।

43.3.2.4 जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त गुणावगुण के आधार पर दण्डादेश जारी करना।

43.3.2.5 दण्डादेश की प्रति संबंधित को प्रेषित करना।

41.4. अनुशासनिक प्राधिकारी

41.4.1 अनुशासनिक प्राधिकारी समिति अध्यक्ष होगा जो कि संस्थापन समिति की अनुशंषा के अनुसार कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।

41.4.2 संस्थापन कमेटी का गठन निम्नानुसार होगा :–

(क) अध्यक्ष समिति – अध्यक्ष

(ख) रांचालक मण्डल द्वारा नियुक्त संचालक सदस्य – सदस्य

(ग) क्षेत्रीय निरीक्षक सहकारिता – सदस्य सचिव**

41.4.3 अनुशासनिक कार्यवाही की शक्तियां उक्त कमेटी में निहित होंगी।

संस्थापन समित में समस्त सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

41.5. अपील

41.5.1 अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील संचालक मण्डल को 90 दिवस में की जा सकेगी।

3,5

41.5.2 संचालक मण्डल द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील संबंधित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ को 90 दिवस में की जा सकेगी।

** **नोट** :– युक्तियुक्त कारणों से अपील की निर्धारित अवधि में शिथलन संबंधित अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा।

42. निलम्बन :

42.1. गबन/दुरूपयोग व अन्य गम्भीर अनियमितता के कारण व्यवस्थापक का निलम्बन संचालक मण्डल की अनुशंषा पर अध्यक्ष समिति द्वारा किया जा सकेगा।

42.2. व्यवस्थापक को निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

42.3. नियमानुसार जॉच उपरान्त दण्डादेश पारित करने/सेवा में बहाली की शक्तियां संचालक मण्डल में निहित होंगी।

42.4. निलम्बन एवं निलम्बन से सेवा में बहाली के संबंध में अन्य कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा उनके कार्मिकों के लिए समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होंगी।

43. व्यवस्थापक के कर्तव्य :

व्यवस्थापक के कर्तव्य एवं दायित्व कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों/वृहत् कृषि बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों के उपनियमों में वर्णितानुसार के साथ–साथ निम्नानुसार भी होंगे :–

43.1 समिति कार्यालय समय पर खोलना।

43.2 समिति सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

43.3 समिति व्यवसाय में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के ज़ीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयास करना।

43.4 सहकार संग व्यापार की अवधारणा को साकार करने का प्रयास करना।

43.5 राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

43.6 राज्य सरकार/रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर द्वारा आवंटित कार्य का निष्पादन करना।

43.7 दैनिक डायरी (दिनचर्या बही) का प्रतिदिन संधारण कर माह के अन्त में शाखा प्रबन्धक को प्रस्तुत करना।

43.8 बैंको द्वारा वितरित ऋणों की वसूली करना।

43.9 मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, ई–मित्र, डेयरी उत्पाद इत्यादि की सेवाऐं ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराना।

43.10 समिति के सदस्य कृषकों का डाटाबेस तैयार करना।

44. स्थानान्तरण :

समिति व्यवस्थापक का किसी दूसरी समिति में स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में बैंक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली संबंधित समितियों के व्यवस्थापकों के स्वयं के आवेदन पर दोनों समितियों की प्रबंधकारिणी द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाने एवं इसका अनुमोदन वित्तदाता बैंक द्वारा होने पर व्यवस्थापक का सहमत अवधि हेतु मूल संस्था में लियन रहते हुए पारस्परिक स्थानान्तरण हो सकेगा। स्थानान्तरण अवधि के पीएफ, ग्रेच्युटी, वेतनभत्ता इत्यादि का भुगतान संबंधित समिति जिसमें व्यवस्थापक द्वारा कार्य किया गया है, से देय होगा।

45. वित्तदाता बैंक को विशेषाधिकार :

किसी समिति में गबन/दुरूपयोग के प्रकरण प्रकाश में आने पर वित्तदाता बैंक के अधिशाषी अधिकारी, बैंक समिति के किसी कार्मिक के तत्काल निलम्बन हेतु अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबन्धकारिणी समिति को गबन/दुरूपयोग की सूचना देते हुए तथा की गई अनुशासनहीनता का विवरण भिजवाते हुए निर्देश दे सकेगा। यदि अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा 15 दिवस की अवधि में उचित कदम नहीं उठाये गये तथा संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं होने पर अधिशाषी अधिकारी, बैंक संबंधित कार्मिक को निलम्बित कर सकेगा तथा एक माह में प्रस्तावित आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र तैयार कर अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबन्धकारिणी समिति को भिजवायेगा जो कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा संबंधित कार्मिक को जारी कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

यदि निलम्बन की कार्यवाही अधिशाषी अधिकारी, बैंक द्वारा की गई हैं, तो संबंधित कार्मिक की बहाली बिना बैंक की सहमति के नहीं की जा सकेगी।

29/07/2022

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
रजिस्ट्रार